HISTORY, B.A. HONS. II - Paper II

NATIONAL ASSEMBLY, OR NATIONAL CONSTITUENT ASSEMBLY
राष्ट्रीय सभा, अथवा राष्ट्रीय संवैधानिक सभा

जिस समय फ्रांस में क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी उस समय देश में शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने महत्वपूर्ण कार्य किये। टेनिस कोर्ट की शपथ के अनुसार उसे एक संविधान बनाना था। इस कार्य में बहुत कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि उसे राजतंत्र के ऊपर प्रजातंत्र स्थापित करना था। कठोर परिश्रम एवं अनेक कठिनाइयों के उपरान्त इस सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया तथा शासन में काफी सुधार हुए। यह सब कार्य राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने केवल दो वर्ष की अवधि (अक्टूबर, 1789 से सितम्बर, 1791) में सम्पन्न कर लिए। प्रारम्भिक वाद-विवाद के आधार पर राष्ट्रीय सभा में दक्षिणमार्गी एवं वाममार्गी दो वर्गों का उदय हुआ। दक्षिणमार्गी वर्ग के नेता एबी मारी, कैजलीज, अबी द माण्टेस्क्यू, मालुए, मिराब्यू थे तथा वाम-मार्गी नेता- लेल्मी तालेन्दल, मारीस तालीराँ, क्लेमां तान एवं राब्सपियर प्रमुख थे।

संवैधानिक सभा के प्रारम्भिक काल में मिराब्यू द्वारा राजा एवं Assembly में समझौता कराने के प्रयत्न किए गये, किन्तु इन दोनों को मिराब्यू पर विश्वास नहीं था। उनका ख्याल था कि मिराब्यू यह कार्य राजा का मन्त्री बनने के लिए कर रहा है। इसलिए असेम्बली ने प्रस्ताव पास कर दिया कि उसका कोई भी सदस्य राजा का मंत्री नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव से मिराब्यू बहुत नाराज हुआ और स्वयं मंत्रिमण्डल से बाहर हो गया। मिराब्यू के साथ-साथ लाफायत तथा तालीराँ भी सदैव के लिए मंत्रिमण्डल से बाहर हो गये।

राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के कार्य:-

(1) सामन्तवादिता का अन्त (End of Feudalism):- 4 अगस्त, 1789 को होने वाले राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में सामन्तों तथा पादरियों ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया। गुडविन का मानना है कि वास्तव में सामन्तों और पादरियों ने स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकारों का त्याग नहीं किया था बल्कि भय के कारण उन्होंने ऐसा किया था। 4 अगस्त की रात्रि को निम्न प्रस्ताव पारित किये गये-

(i) योग्यता के आधार पर सब मनुष्यों को राज्य के समस्त पद प्रदान किये जायेंगे।

(ii) चर्च का दशांश (Tithes) नामक कर समाप्त कर दिया गया तथा सामंतों और पादरियों पर भी कर लगाये गये।

(iii) सभी व्यक्ति एकमात्र फ्रांसीसी समझे जायेंगे, कोई भी व्यक्ति समाज के किसी वर्ग के नाम से सम्बोधित नहीं होगा।

(iv) सामन्तों के विशेषाधिकार, शिकार करने, मछली पकड़ने तथा न्याय करने के अधिकार समाप्त कर दिये गये। इसके साथ ही नगरपालिकाओं, कारपोरेशन तथा प्रान्तों आदि के विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिये गये।

इस प्रकार 4 अगस्त को बने इस कानून से सामन्त प्रथा का अन्त हो गया, यद्यपि बहुत से प्रतिनिधियों द्वारा विशेषाधिकारों का समर्थन करने से इस प्रथा के अवशेष बने रहे।

(2) मानव अधिकारों की घोषणा (Declaration of Human Rights):-

27 अगस्त, 1789 ई. को राष्ट्रीय संवैधानिक सभा द्वारा रूसो के समझौते के आधार पर मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गयी जिसके अन्तर्गत प्रमुख निम्न बातें थीं-

(i) प्रत्येक मनुष्य को समानता का अधिकार प्राप्त है।
(ii) मुआवजा दिये बिना किसी की सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जायेगा।
(iii) सभी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी समाज सेवा करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझें।
(iv) धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही साथ सबको लेखन, भाषण तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।
(v) सबके लिए समान न्याय होगा। किसी को गैर-कानूनी ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कानून को सामान्य इच्छा (General will) का प्रकाशन कहा गया था।
(vi) राज-सत्ता (Sovereignty) राज्य तथा पार्लियामेण्ट में न मानकर राष्ट्र में मानी गयी थी।

घोषणा-पत्र का मूल्यांकन:- बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी इस घोषणा-पत्र में कुछ त्रुटियाँ रह गयी थी जो इस प्रकार हैं-

(i) सर्वप्रथम त्रुटि यह थी कि अधिकारों की घोषणा के साथ कर्तव्य का कहीं उल्लेख नहीं था।
(ii) व्यापार तथा व्यवसाय का की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं था।
(iii) सार्वजनिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।
(iv) नागरिकों को सम्पत्ति रखने का अधिकार सीमित मात्रा में दिया गया था। राज्य द्वारा किसी भी बहाने सम्पत्ति का अपहरण किया जा सकता था।

लेकिन इन त्रुटियों के होते हुए भी यह घोषणा-पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था। फ्रांस के लिए तो इसका वही महत्व है, जो मेग्ना कार्टा (Magna Carta) तथा बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) का इंगलैण्ड के लिए और स्वतंत्रता की घोषणा का अमेरिका के लिए है। हेजन का मत है कि "घोषणा पत्र का समस्त संसार पर प्रभाव पड़ा है।"

(3) चर्च की जागीरों एवं मठों का अन्त (Property of Church and Monastries Abolished):- इस समय राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी, फ्रांस की समस्त भूमि का 1/3 भाग चर्च के अधीन था। अतः तालीरां द्वारा 10 अक्टूबर 1789 ई. को चर्च की जागीरें बेचने का प्रस्ताव रखा गया। मुआवजे के रूप में पादरियों को उनकी आय का 2/3 भाग नियत करना निश्चित किया गया। काफी वाद-विवाद के पश्चात् यह प्रस्ताव पारित हो गया।

इस प्रस्ताव के अनुसार चर्च की सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया, बदले में पादरियों एवं निर्धनों को दान देने का उत्तरदायित्व सरकार का हो गया। फ्रांस में भिक्षुओं की संख्या अधिक होने से अनेक मठ थे। 6 फरवरी 1791 ई० को संविधान सभा में घोषणा की कि भविष्य में कोई भी भिक्षु, भिक्षुणी न बने तथा पुराने भिक्षु, भिक्षुणियां भी सांसारिक जीवन बिता सकते हैं। इससे कई सन्यासियों ने मठों को छोड़ दिया, इस प्रकार मठों का विनाश हो गया।

(4) धार्मिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु संविधान बनाना (Constitution formed to Maintain Religious Order) :— जुलाई 1790 ई० में राष्ट्रीय सभा द्वारा 'Civil Constitution of the clergy' नामक कानून पास किया गया। इसके अन्तर्गत निम्न निर्णय लिये गये—

(i) पादरियों एवं विशपों का निर्वाचन जनता द्वारा होगा।

(ii) एक प्रांत में केवल एक ही विशप नियुक्त हो सकता था, इसलिए फ्रांस के 83 विशपों की संख्या निश्चित की गयी।

(iii) विशप पोप के अधीन न रह कर राज्य के अधीन रहकर कार्य करेंगे तथा समस्त धार्मिक पदाधिकारियों को राज्य से वेतन दिया जायेगा।

(iv) नवम्बर 1790 ई० में यह भी निर्णय लिया गया कि फ्रांस के कैथोलिक पादरियों को इस संविधान को ठहराव करने की शपथ उठानी पड़ेगी।

पोप पायस छठा (Pious VI) पहले ही चर्च की सम्पत्ति के अपहरण एवं मठों के अन्त से बहुत क्रोधित हुआ। शपथ उठाने के आदेश से उसके क्रोध में और अधिक वृद्धि हुई। उसने घोषणा की कि "कोई भी पादरी या विशप शपथ ग्रहण न करे।" शपथ लेने वालों को ईसाई समाज से बहिष्कृत कर दिया जाये। Assembly द्वारा शपथ ग्रहण न करने वाले पादरियों को पुरस्कृत किया जाए। इस सम्बंध में गार्डीनर का विचार है, "क्रांतिकारी विचारों को इससे अधिक हानि किसी अन्य घटना से नहीं हुई। इससे फ्रांस दो भागों में विभक्त हो गया।"

(5) नवीन संविधान का निर्माण (Formation of New Constitution) :—

यह कार्य राष्ट्रीय असेम्बली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यह 2 वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात 1791 ई० में तैयार हुआ था। उस समय तक यूरोप में ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं था। इस संविधान की धाराओं को देखने से ज्ञात होता है कि यह जनतन्त्रात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं बनाया गया था बल्कि इसका निर्माण राजा के प्रति वैमनस्य से प्रेरित होकर हुआ था।

इस संविधान द्वारा निम्न व्यवस्था की गयी थी :—

(i) राजा के अधिकार सीमित कर दिये गये थे। उसे कर लगाने, संधि अथवा युद्ध करने का अधिकार न था। यद्यपि राजा प्रशासन का अध्यक्ष था, लेकिन वह प्रशासन सम्बंधी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकता था। उनका निर्वाचन किया जाता था। राजा इन निर्वाचित पदाधिकारियों को पदच्युत भी नहीं कर सकता था। इस संविधान द्वारा राजा की स्थिति केवल नाममात्र की थी।

→

(ii) मंत्रिगण सम्राट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, अपितु राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस संविधान हेतु एक भवन वाली व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था की गयी। इसके सदस्यों की संख्या 750 थी तथा इसके सदस्यों का चुनाव केवल दो वर्ष के लिए होता था। सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से होता था। व्यवस्थापिका सभा द्वारा नागरिकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया—

(1) सक्रिय नागरिक (2) निष्क्रिय नागरिक। जो नागरिक कर देते थे वे सक्रिय नागरिक कहलाये तथा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। जो निर्धन एवं सम्पत्तिहीन वर्ग के थे, वे निष्क्रिय नागरिक कहलाये तथा वे मताधिकार से वंचित थे।

यद्यपि मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा में यह घोषित किया गया था कि सब मनुष्य समान हैं, किन्तु संविधान बनाते समय सिद्धांत की हत्या कर दी गयी।

इस व्यवस्था द्वारा न्यायाधीशों के पदों का क्रय-विक्रय समाप्त कर दिया गया। निर्वाचन पद्धति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति आरम्भ की गयी। न्याय निःशुल्क करने की व्यवस्था की गयी तथा सभी को समान न्याय प्रदान करने की घोषणा की गयी।

(6) आर्थिक दशा सुधारने हेतु किये गये कार्य (Works of Improve Economic Condition) :- देश की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु राष्ट्रीय सभा ने निम्न कार्य किये—

(i) निर्धनों की सहायतार्थ असेम्बली ने 'चेरिटी वर्कशाप्स' की स्थापना की।
(ii) पादरियों और सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये थे, इससे वे अब किसानों से मनमाना कर वसूल नहीं कर सकते थे।
(iii) किसानों पर केवल भूमि-कर लगाया गया। नमककर या अन्य अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिये गये।
(iv) मजदूरों के प्रदर्शन तथा हड़ताल के अधिकार को अवैध घोषित कर दिया गया।
(v) चर्च की सम्पत्ति का अपहरण किया जाना भी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक प्रयत्न था।

Evaluation (मूल्यांकन) :- राष्ट्रीय सभा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इसके सदस्यों को किसी प्रकार का अनुभव न होते हुए भी उन्होंने राष्ट्र के लिए एक विस्तृत विधान का निर्माण किया। कुछ लोगों ने Assembly के कार्यों की निन्दा करते हुए कहा है कि उसने निर्माण की अपेक्षा विध्वंस अधिक किया था तथा दीर्घकालीन सभी व्यवस्थाओं का अन्त कर दिया था, लेकिन ये मत निराधार हैं। इस संविधान की महत्ता इस बात से प्रकट होती है कि इसने फ्रांस में बनने वाले आगामी सभी संविधानों को प्रभावित किया। इस सम्बन्ध में हेज का मत है, "फ्रांस के तूफानी वातावरण में राष्ट्रीय सभा ने देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था के लिए जो कार्य अल्पकाल में ही पूरा किये अन्य सभाएँ वर्षों तक पूरा करने में सफल न हो पायी थीं।"

S.V. [signature]
27.7.2020